पुनरीक्षण क्रं. :   /2014
प्रस्तुति दिनांक : 17/11/2014

माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर (इन्दौर केम्प) के समक्ष

R-3920-PBR/14

श्री नारायण जरिया
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 17-11-14 को प्रस्तुत
835/17-11-2014

हरिसिंह खटाना पिता श्री पंक्षीसिंह खटाना,
आयु : 52 वर्ष, व्यवसाय : नौकरी,
निवासी : लक्ष्मणपुरी कालोनी,
गाडराखेड़ी, इन्दौर (म.प्र.)

-- प्रार्थी
(मूल प्रतिप्रार्थी)

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा–तहसीलदार नजूल,
तहसील व जिला–इन्दौर

-- प्रतिप्रार्थी
(मूल प्रार्थी)

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता

प्रार्थी की ओर सादर निवेदन है कि :–

यह कि, प्रार्थी श्रीमान अपर आयुक्त महोदय, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा द्वितीय अपील क्रमांक 404/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 18.09.2014 जिसके द्वारा विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को निरस्त करते हुए श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, इन्दौर द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील क्रं. 48/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 26.12.2012, जिसके द्वारा प्रार्थी की प्रथम अपील निरस्त की गई है एवं श्रीमान् तहसीलदार (नजूल), इन्दौर द्वारा प्रकरण क्रं. 149/अ–68/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 05.10.2012 जिसके द्वारा तहसीलदार महोदय ने प्रार्थी के विरूद्ध धारा 248 म.प्र. भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत बेदखली आदेश पारित किया है, को यथावत् रखा गया है, से परिवेदित होकर यह पुनरीक्षण इस माननीय न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत हैं :–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 3920–पीबीआर / 14 जिला इन्दौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14–5–2015	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 18.9.2014 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसंगत है कि आवेदक द्वारा नगर भूमि सीमा अधिनियम के अंतर्गत अतिशेष शासकीय भूमि पर अतिकमण किया गया है । आवेदक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने पर उसके द्वारा राजस्व निरीक्षक से सीमांकन कराये जाने का कथन किया गया । तदनुसार राजस्व निरीक्षक से सीमांकन कराये जाने पर भी प्रश्नाधीन शासकीय भूमि पर आवेदक का अवैध अतिकमण पाया गया है । प्रश्नाधीन भूमि अतिशेष घोषित होने के उपरांत दिनांक 3.4.89 को कब्जा प्राप्ति की पंचनामा बनाया गया है, अतः इसके पश्चात् विकेता का प्रश्नाधीन भूमि पर स्वत्व नहीं रह गया है, इसलिये आवेदक के पक्ष में निष्पादित इकरारनामा भी शून्यवत् है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा निगरानी निरस्त करने में प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता नहीं की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	